411105

संख्याः /71892/FCD-IRFC/FSFC/5/2025

प्रेषक,

हिमांशु खुराना,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 (वि.आ.निदे.) :: देहरादून :: दिनांकः 23 जुलाई, 2026

विषयः– छठवां राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार समस्त शहरी स्थानीय निकायों को तदर्थ आधार पर वित्तीय वर्ष 2026–27 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त की धनराशि संक्रमित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठवां राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याक्षा में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार समस्त शहरी स्थानीय निकायों को तदर्थ आधार पर वित्तीय वर्ष 2026–27 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त (जुलाई से सितम्बर, 2026) हेतु निम्न तालिका के कॉलम–3 में अंकित कुल रू0 328,27,80.00 हजार में से कॉलम–4 में अंकित कुल रू0 3,24,29.00 हजार (रू0 तीन करोड़ चौबीस लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु (01 प्रतिशत) तथा कॉलम–5 में अंकित कुल रू0 325,03,51.00 हजार (रू0 तीन सौ पच्चीस करोड़ तीन लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार (निकायवार विवरण, सलग्नक–1) संबंधित निकायों को संक्रमित करने, इस प्रकार कुल रू0 328,27,80.00 हजार (रू0 तीन सौ अट्ठाईस करोड़ सत्ताईस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क.सं	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2026–27 (हजार में)		
		द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु देय संक्रमण	*केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु कटौती 1%*	*निकायों को वित्तीय वर्ष 2026–27 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु संक्रमित धनराशि*
1	2	3	4	5
1-	नगर निगमें	1482588.00	14827.00	1467761.00
2-	नगर पालिका परिषदें	1419468.00	14170.00	1405298.00
3-	नगर पंचायतें	380724.00	3432.00	377292.00
	योग	**3282780.00**	**32429.00**	**3250351.00**

टिप्पणीः– (1) आंकड़ें पूर्णांक (Round) में प्रदर्शित किये गये हैं।

(2) ऐसी निकाय जिनको संक्रमण सूत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, को देय एक मुश्त सहायता अनुदान से केन्द्रीयित पेंशन निधि की कटौती नहीं की गई है।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अन्तर्गत अवमुक्त की जानी है:–

1. संक्रमित धनराशि छठवां राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में संक्रमित धनराशि के अनुसार ही

समस्त शहरी स्थानीय निकायों को तदर्थ आधार पर वित्तीय वर्ष 2026–27 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त की धनराशि संक्रमित की जा रही है। **छठवां राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियॉं, स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के उपरान्त वर्तमान में निर्गत की जा रही संक्रमण की धनराशि का समायोजन (वृद्धि / कमी) यथा समय कर लिया जायेगा।**

2. पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय–8 (संक्रमण की योजना) मे की गई संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत उक्त धनराशि संक्रमित की जा रही है।

3. पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायो हेतु की गई संस्तुतियो के कियान्वयन के संबध मे वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 266 / (वि. आ. निदे.) xxvii(1) / 2022, दिनांक: 02.05.2022 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

4. संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, पथ प्रकाश, जल संस्थान के देयकों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि, विकास कार्यो एवं केवल सफाई व स्वच्छता संबंधी वाहनों यथा:– कूडा वाहन, डम्पर, टिप्पर, जे.सी.बी. व कम्पेक्टर वाहन कय करने पर व्यय की जा सकती है परन्तु स्वच्छता से इतर अन्य वाहन जैसे :–जीप और स्टॉफ कार कदापि कय नही किये जायेगें।

5. वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) के पत्र संख्या: 36/FCD-IRFC/FFCG/4/ 2022, दिनांक: 03.04.2023 के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियो के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से 01 प्रतिशत की कटौती उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु की गई है।

6. एक नगर पंचायत को, नगर पालिका परिषद या नगर पालिका परिषद को नगर निगम में उच्चीकृत किया जाता है, तो इससे संबंधित समूहों के परस्पर हिस्से के बीच एक विकृति पैदा होती है। आयोग की संस्तुति के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के निर्धारित आपसी अंश को बदला नहीं जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत एक उच्चीकृत निकाय को संक्रमण की उतनी ही राशि प्राप्त होगी, जितना की आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान उसके उन्नयन से पूर्व प्राप्त हो रहा था।

7. यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पचायत मे सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई ग्राम पंचायत का गठन हो गया हो अथवा किसी शहरी स्थानीय निकाय में पूर्व में सम्मिलित ग्राम पचायत को पुनः ग्राम पंचायत बना दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय को संक्रमित धनराशि का हस्तान्तरण वित्त विभाग के शासनादेश स0–822/XXVII(1)/ 2014, दिनाक 15 अक्टूबर, 2014 एवं शासनादेश स0–1344/xxvii(1)/ 2021, दिनाक 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्थानुसार किया जायेगा, जिसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/XXVII(6)/ 430/ एक/ 2008/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 में तथा समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा कोषागार के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार धनराशि संबंधित निकायों को संकमित की जायेगी। किसी भी दशा में निदेशालय स्तर पर धनराशि रोकी नहीं जायेगी।
9. नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को त्रैमासिक किश्त के रूप में धनराशि संकमित की जायेगी।
10. नव गठित नगर पंचायतों को संकमण हेतु अनुशंसित सूत्र में शामिल नहीं किया गया है। अपितु उनसे संबंधित समूहों को स्वीकार्य कुल हस्तातरण से सहायता अनुदान की धनराशि घटाकर संबंधित नव सृजित निकायों को अंतरित की जा रही है।
11. समस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित निदेशालय स्तर पर निदेशक को उपलब्ध कराये जायेंगे। निदेशक द्वारा निकायवार उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभागीय प्रमुख सचिव/ सचिव से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को दिनांक 30 सितम्बर, 2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अगली किश्त की धनराशि रोकी जा सकती है, जिसके लिए संबंधित निकाय उत्तरदायी होंगें।
12. संकमित धनराशि के सदुपयोग के लिए शासन स्तर पर संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव तथा निदेशालय स्तर पर संबंधित विभाग के निदेशक द्वारा त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।
13. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: I/384289/E-94611/09 (150) 2019/XXVII(1)/ 2026, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. अंतरित की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योमेंट) नियमावली–2025 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
15. निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तों में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।
16. अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न है।

3– इस संबध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्यय की अनुदान संख्या 07 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा–

क.सं.	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक	संकमित धनराशि (रू0 हजार में)
(1)	नगर निगमें	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—00—200—अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—02—राज्य वित्त आयोग—01—राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निगमों को संस्तुत करों से समनुदेशन—69—समनुदेशन।	1482588.00
(2)	नगर पालिका परिषदें	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—00—200—अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—02—राज्य वित्त आयोग—02—राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं हेतु संस्तुत करों से समनुदेशन—69—समनुदेशन।	1419468.00
(3)	नगर पंचायतें	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—00—200—अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—02—राज्य वित्त आयोग—03—नगर पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन—69—समनुदेशन।	380724.00
योग			3282780.000

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by Himanshu Khurana
Date: 07-07-2026 14:47:48

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

संख्याः411105 /71892/FCD-IRFC/FSFC/5/2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ कुमायूं मण्डल।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।
6. निदेशक, लेखा परीक्षा, रिंग रोड, देहरादून।
7. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23—लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री जी/ मा0 वित्त मंत्री जी को मा0 मुख्यमन्त्री जी/ मा0 वित्त मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. संबंधित नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी—नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
13. शहरी विकास अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
14. एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

संलग्नक–1

छठवां राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार वित्तीय वर्ष 2025–26 में वास्तविक रूप से देय संक्रमण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु निकायवार संक्रमित धनराशि विवरण

(रू0 हजार में)

जनपद का नाम	क.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2026–27 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु तदर्थ आधार पर देय संक्रमण	वित्तीय वर्ष 2026–27 की द्वितीस त्रैमासिक किश्त से पेंशन हतु 1 प्रतिशत कटौती	वित्तीय वर्ष 2026–27 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु निकायों को तदर्थ आधार पर संक्रमित धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) नगर निगम					
देहरादून	1	देहरादून	499270	4993	494277
	2	ऋषिकेश	67888	679	67209
हरिद्वार	3	हरिद्वार	147115	1471	145644
	4	रुड़की	120364	1204	119160
नैनीताल	5	हल्द्वानी	154355	1544	152811
पौड़ी गढ़वाल	6	कोटद्वार	96865	969	95896
	7	श्रीनगर (उच्चीकृत)	44481	445	44036
उद्यमसिंह नगर	8	काशीपुर	108575	1086	107489
	9	रुद्रपुर	120928	1209	119719
अल्मोड़ा	10	अल्मोड़ा (उच्चीकृत)	51530	515	51015
पिथौरागढ़	11	पिथौरागढ़ (उच्चीकृत)	71217	712	70505
योग (1) नगर निगम		योग	**1482588**	**14827**	**1467761**
(2) नगर पालिका परिषदें					
अल्मोड़ा	1	रानीखेत –चिनियानौला	17791	178	17613
बागेश्वर	2	बागेश्वर	36718	367	36351
चमोली	3	गोपेश्वर	35333	353	34980
	4	जोशीमठ	40154	402	39752
	5	गौचर	23719	237	23482
	6	कर्णप्रयाग	22095	221	21874
चम्पावत	7	चम्पावत	23425	234	23191
	8	टनकपुर	26379	264	26115
	9	लोहाघाट (उच्चीकृत)	12005	120	11885
देहरादून	10	मसूरी	85626	856	84770
	11	विकासनगर	33413	334	33079
	12	डोईवाला	64540	645	63895
	13	हरबर्टपुर	18315	183	18132
हरिद्वार	14	मंगलौर	55513	555	54958
	15	लक्सर	30327	303	30024
	16	शिवालिक नगर	38973	390	38583
नैनीताल	17	नैनीताल	62244	622	61622
	18	रामनगर	62918	629	62289
	19	भवाली	20451	205	20246
	20	कालाढूँगी (उच्चीकृत)	12369	124	12245
पौड़ी गढ़वाल	21	दुगड्डा	18421	184	18237
	22	पौड़ी	46598	466	46132
पिथौरागढ़	23	धारचूला	23294	233	23061
	24	डीडीहाट	23294	233	23061
	25	गंगोलीहाट (उच्चीकृत)	8134	81	8053
	26	बेरीनाग (उच्चीकृत)	8639	86	8553
रुद्रप्रयाग	27	रुद्रप्रयाग	25181	252	24929
टिहरी	28	नरेंद्रनगर	15851	159	15692
	29	टिहरी	40661	407	40254
	30	मुनि की रेती ढालवाला	38690	387	38303
	31	चम्बा	16183	162	16021
	32	देवप्रयाग	23537	235	23302

ऊधम सिंह नगर	33	बाजपुर	35816	358	35458
	34	गदरपुर	28048	280	27768
	35	जसपुर	58535	585	57950
	36	खटीमा	61464	615	60849
	37	किच्छा	80050	801	79249
	38	सितारगंज	37865	379	37486
	39	महुआखेड़ागंज	18150	182	17968
उत्तरकाशी	40	उत्तरकाशी	42059	421	41638
	41	बड़कोट	22095	221	21874
	42	चिन्यालीसौड़	22095	221	21874
योग (2)			1416968	14170	1402798
(3) नगर पालिका परिषद (नव सृजित)					
ऊधम सिंह नगर	43	नगला	2500	0	2500
योग (3)			2500	0	2500
योग– नगर पालिका परिषदें (2+3)			1419468	14170	1405298
(4) नगर पंचायतें					
अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	6443	64	6379
	2	भिकियासैंण	5738	57	5681
	3	चौखुटिया	5738	57	5681
बागेश्वर	4	कपकोट	5362	54	5308
चमोली	5	नन्दप्रयाग	8108	81	8027
	6	पोखरी	8073	81	7992
	7	थराली	4979	50	4929
	8	पीपलकोटी	8605	86	8519
	9	गैरसैंण	9790	98	9692
चम्पावत	10	बनबसा	5814	58	5756
हरिद्वार	11	झबरेड़ा	18966	190	18776
	12	लढौर	23737	237	23500
	13	भगवानपुर	14949	149	14800
	14	पिरान कलियर	16808	168	16640
नैनीताल	15	लालकुआँ	12301	123	12178
	16	भीमताल	26241	262	25979
पौड़ी गढ़वाल	17	स्वर्गाश्रम	14625	146	14479
	18	सतपुली	6264	63	6201
रुद्रप्रयाग	19	अगत्स्यमुनि	9293	93	9200
	20	उखीमठ	8254	83	8171
	21	तिलवाड़ा	5738	57	5681
टिहरी	22	कीर्तिनगर	8324	83	8241
	23	घनसाली	8370	84	8286
	24	गजा	5452	55	5397
	25	लम्बगांव	5738	57	5681
	26	चमियाला	5752	58	5694

ऊधम सिंह नगर	27	महुआडावरा	7763	78	7685
	28	सुल्तानपुर	9484	95	9389
	29	केलाखेड़ा	11531	115	11416
	30	दिनेशपुर	12122	121	12001
	31	शक्तिगढ़	9580	96	9484
	32	नानकमत्ता	7987	80	7907
	33	गूलरभोज	6579	66	6513
उत्तरकाशी	34	पुरोला	12605	126	12479
	35	नौगांव	6111	61	6050
योग (4)			343224	3432	339792
(5) नगर पंचायतें (नव सृजित)					
हरिद्वार	36	सुल्तानपुर–आदमपुर	2500	0	2500
	37	पाडली गुर्जर	2500	0	2500
	38	ढण्डेरा	2500	0	2500
	39	रामपुर	2500	0	2500
	40	इमलीखेड़ा	2500	0	2500
टिहरी गढ़वाल	41	तपोवन	2500	0	2500
चमोली	42	नन्दानगर (नव सृजित)	2500	0	2500
पौड़ी गढ़वाल	43	थलीसैंण	2500	0	2500
बागेश्वर	44	गरूड़	2500	0	2500
उधमसिंह नगर	45	लालपुर	2500	0	2500
	46	गढ़ीनेगी (नव सृजित)	2500	0	2500
पिथौरागढ़	47	मुनस्यारी (नव सृजित)	2500	0	2500
चम्पावत	48	पाटी (नव सृजित)	2500	0	2500
देहरादून	49	सेलाकुई	2500	0	2500
रूद्रप्रयाग	50	गुप्तकाशी (नव सृजित)	2500	0	2500
योग (5)			37500	0	37500
योग नगर पंचायतें (4+5)			380724	3432	377292
महायोग			3282780	32429	3250351

(रू0 तीन सौ अट्ठाईस करोड़ सत्ताईस लाख अस्सी हजार मात्र)

Digitally signed by
Himanshu Khurana
Date: 07-07-2026
14:48:48

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H26070070494
आवंटन पत्र दिनांक-27-JUL-2026

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--	
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	02-राज्य वित्त आयोग	
	03-नगर पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन		Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	3

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-समनुदेशन	380724000	380724000	377292000	761448000
योग	380724000	380724000	377292000	761448000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.38,07,24,000 (Rupees Thirty Eight Crores Seven Lacs Twenty Four Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2607:0005
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव
वित्त विभाग
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-00 /

आवंटन आई डी-H26070070493
आवंटन पत्र दिनांक-27-JUL-2026

लेखा शीर्षक

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा सामनुदेशन
200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट
02-राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं हेतु संस्तुत करों से सामनुदेशन

. 00--
02-राज्य वित्त आयोग
Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-सामनुदेशन	1419468000	1419468000	1405298000	2838936000
योग	1419468000	1419468000	1405298000	2838936000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,41,94,68,000 (Rupees One Hundred Forty One Crores Ninety Four Lacs Sixty Eight Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2607:0004
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव
वित्त विभाग
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H26070070492
आवंटन पत्र दिनांक-27-JUL-2026

लेखा शीर्षक	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--	
	200 अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	02-राज्य वित्त आयोग	
	01 राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निगमों को संस्तुत करों से समनुदेशन		Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-समनुदेशन	1482588000	1482588000	1467761000	2965176000
योग	1482588000	1482588000	1467761000	2965176000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,48,25,88,000 (Rupees One Hundred Forty Eight Crores Twenty Five Lacs Eighty Eight Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2607:0003
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव
वित्त विभाग
उत्तराखण्ड शासन